121

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1673–दो/2007 – विरूद्ध आदेश दिनांक 03–09–2007 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 187/2005–06 अपील

1– नथ्थूलाल पुत्र दीनबन्धु कुर्मी
2– राजाराम पुत्र बालाप्रसाद कुर्मी
ग्राम चिल्हारी तहसील मानुपर
जिला उमरिया मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रेमलाल 2– रामसरोवर
3– लाला पुत्रगण फोदाली कुर्मी
4– हेतराम 5– रामकिशोर
पुत्रगण बारेलाल कुर्मी
ग्राम आसोद तहसील मानुपर जिला उमरिया ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 20–04–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 187/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–9–07 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामदीन पुत्र कोदू एंव कोदू पुत्र दीनदयाल के नाम ग्राम असोद में 265–50 एकड़ भूमि में हिस्सा 37–93 तथा ग्राम चिल्हारी में 78–07 एकड़ (कुल 116–00) एकड़ भूमि पाये जाने से म0प्र0कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बॉधवगढ़ के न्यायालय में प्रकरण पॅजीबद्व हुआ, जिसमें सक्षम प्राधिकारी कृषि सीलिंग व्दारा विचार करते हुये आदेश दिनांक 3–1–1976 से ग्राम चिल्हारी की कुल किता 27 रकबा 78–07 एकड़ म महिला ठगिया का

हिस्सा 1/2 अर्थात 39-04 एकड़ तथा महिला धनिया का हिस्सा 1/2 रकबा 39-03 एकड़ प्रमाणित पाने पर निर्णीत किया कि ग्राम असोढ़ की भूमियों में रामदीन का हिस्सा 37-93 एकड़ भी महिला धनिया को प्राप्त होगा, जिससे महिला धनिया ग्राम चिलहारी एंव ग्राम असोढ़ की भूमियॉ कुल मिलाकर 76-97 एकड़ की भूमिस्वामी है। महिला ठगिया ग्राम चिल्हारी की 39-04 एकड़ की भूमिस्वामी मानी गई। सक्षम प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 3-1-76 के अनुसार महिला धनिया के रामदीन मृतक पति से कोई पुत्र/पुत्री न होने से निःसंतान है एंव दूसरे पति फोदाली से पैदा संतान होने से महिला धनिया को केवल 30.00 एकड़ की पात्रता दी गई। इस प्रकार महिला धनिया के हिस्से 76-97 एकड़ में से 46-97 एकड़ भूमि सरप्लस घोषित की गई। सक्षम प्राधिकारी ने ग्राम चिल्हारी की धारित भूमि में से कुल 46-97 एकड़ भूमि सरप्लस घोषित कर शासन में वेष्ठित की।

सक्षम प्राधिकारी के उक्तादेश के विरूद्व महिला धनिया, हेतराम, शेरा उर्फ रामकिशोर एंव फोदाली ने कलेक्टर शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 17-7-78 से अपील अंशतः स्वीकार करके निर्देश दिये गये कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और रीवा राज्य का कानून मालगुजारी व कास्तकारी अधिनियम 1935 के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर पुनः आदेश पारित किया जाय। सक्षम प्राधिकारी कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के न्यायालय में प्रकरण आने पर पुर्न-कार्यवाही प्रारंभ हुई एंव आदेश दिनांक 30-1-1993 पारित करके रामदीन की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा महिला धनिया को एंव रामदीन के पिता मृतक कोदू की भूमि पर हकदार मानकर 76-97 एकड़ भूमि कृषि सीलिंग से मुक्त मानी गई तथा महिला धनिया के दूसरे पति फदाली से उत्पन्न संतोनों को महिला फदाली के वारिस मानते हुये संपूर्ण भूमि उनके बीच वितरित करना आदेशित किया गया।

सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) बांधवगढ़ के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहते हुये महिला ठगिया की मृत्यु हुई। महिला ठगिया के वारिस नथ्थूलाल, बाला, गोरी ने सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 30-1-93 के विरूद्व अपर कलेक्टर शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 9/94-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-5-95 से अपील ऑशिकरूप से स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुये

कलेक्टर शहडौल के आदेश दिनांक 30-1-93 में दिये गये निर्देशों अनुसार कार्यवाही करने हेतु वापिस कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 01 अ 90 बी-3/सीलिंग/1982-83 में पक्षकारों की सुनवाई की तथा आदेश दिनांक 6-10-2003 पारित करके प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला उमरिया के समक्ष नथ्थू, बाला, मृतक राजाराम के वारिसान, हेतराम, रामकिशोर, हरवंश ने दो अपील प्रस्तुत कीं। कलेक्टर जिला उमरिया ने प्रकरण क्रमांक 6 एंव 9/ अपील/अ-90/2003-04 में पारित आदेश दिनॉक 27-9-2005 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 187/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-07 से अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ का आदेश दिनांक 6-10-2003 एंव कलेक्टर जिला उमरिया का आदेश दिनॉक 27-9-2005 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गयां

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) बांधवगढ़ के आदेश दिनांक 3-1-76 से कृषि सीलिंग का प्रकरण निराकृत हुआ है एंव इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 17-7-78 से अपील अंशतः स्वीकार करके निर्देश दिये गये हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और रीवा राज्य का कानून मालगुजारी व कास्तकारी अधिनियम 1935 के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर पुनः आदेश पारित किया जाय। सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) बांधवगढ़ ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर आदेश दिनांक 30-1-93 से प्रकरण निर्णीत कर दिया। सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) बांधवगढ़ के आदेश दिनांक 30-1-93 के विरूद्ध अपर कलेक्टर शहडौल के समक्ष दोवारा अपील क्रमांक 9/94-95 प्रस्तुत हुई , जिसमें पारित आदेश दिनांक 26-5-95 से अपील ऑशिकरूप से स्वीकार कर प्रकरण फिर से पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करते हुये कलेक्टर शहडौल

के आदेश दिनांक 30-1-93 में दिये गये निर्देशों अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्ति हुआ है। सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) बांधवगढ़ ने तीसरी वार पक्षकारों की सुनवाई की है तथा अभिलेखों का परीक्षण करते हुये प्रकरण क्रमांक 01 अ 90 बी-3/सीलिंग/1982-83 में तीसरी वार आदेश दिनांक 6-10-2003 पारित किया है जिसके कारण कलेक्टर उमरिया ने आदेश दिनॉक 27-9-2005 में विस्तृत विवेचना करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कमवेशी अथवा विसंगति न पाकर अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 187/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-07 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने इस आदेश में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

'' **पटवारी ने अपने कथन दिनांक 23-12-5 में स्वीकार किया है कि दामदीन की वेवा धनिया है और उसने फोदाली से विवाह कर लिया है। फोदाली भी रीवा राज्य कानून माल गुजारी व कास्तकारी 1935 के नियम 48 (1) के क्रम (छ) के अनुसार पहिले हक रखता है। चूँकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रीवा राज्य कानून मालगुजारी व कास्तकारी 1935 की धारा 48 (1) की गलत व्याख्या करते हुये आदेश पारित किये हैं जो विधिसंगत नहीं है।**

जब कि इसी-विषय वस्तु एंव विवाद पर पक्षकारों की तीन- तीन वार सुनवाई हुई है एंव तीन-तीन वार अभिलेखों की छानवीन एंव जांच हुई है क्योंकि कलेक्टर शहडौल ने आदेश दिनांक 17-7-78 से अपील अंशतः स्वीकार करके हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और रीवा राज्य का कानून मालगुजारी व कास्तकारी अधिनियम 1935 के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर पुनः आदेश पारित करने के अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये हैं। इन्हीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकारों को सुना है तथा अभिलेख की छानवीन करके आदेश दिनांक 30-1-93 पारित किया है। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर शहडौल के समक्ष दोवारा अपील क्रमांक 9/94-95 प्रस्तुत हुई है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 26-5-95 से अपील ऑशिकरूप से स्वीकार कर प्रकरण फिर से पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करते हुये कलेक्टर शहडौल के आदेश दि. 30-1-93 में दिये गये निर्देशों अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण वापिस किया गया है । सक्षम प्राधिकारी बांधवगढ़ ने तीसरी-वार

पक्षकारों की सुनवाई करके एंव अभिलेखों की छानवीन करके आदेश दिनांक 6-10-2003 पारित किया है जिसे कलेक्टर उमरिया ने विधि-सम्मत पाकर हस्तक्षेप न करते हुये अपील निरस्त की है । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 3-9-07 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त व्दारा पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने के उद्वेश्य त्रृटिपूर्ण निष्कर्ष देते हुये सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) बांधवगढ़ के आदेश दिनांक 6-10-2003 को एंव कलेक्टर जिला उमरिया के (speaking order) आदेश दिनांक 27-9-2005 में निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में अनुचित हस्तक्षेप करते हुये अपील स्वीकार करने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 3-9-07 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 187/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-07 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर